न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : ओ0पी0बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 228/2019

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1. रामरख पुत्र शिवराम 2. सीता पुत्री शिवराम 3. मुन्नी पुत्री शिवराम जाति– मेघवाल निवासीगण ग्राम भावी, तहसील बिलाडा जोधपुर।		1. बगदाराम पुत्र हरीराम जाति मेघवाल निवासीगण ग्राम भावी, तहसील बिलाडा जोधपुर। 2. सरपंच, ग्राम पंचायत, भावी, तहसील बिलाडा, जोधपुर। 3. तहसीलदार बिलाडा, जोधपुर।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 18.11.2019 जो राजस्व अपील संख्या 03/2019 अनवान बगदाराम बनाम रामरख वगैराह में उपखण्ड अधिकारी, बिलाडा द्वारा में पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री जगदीश प्रजापत, अधिवक्ता अपीलान्टस की ओर से।
2– श्री नवल सिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो0 संख्या 3 की ओर से।
4– रेस्पो0 संख्या 1 एवं 2 अनुपस्थित है।

निर्णय

दिनांक06 अक्टूबर, 2022

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम भावी जे0बी0 तहसील, बिलाडा में खेत खसरा संख्या 2372 रकबा 09.19 बीघा, ख0सं0 2386 करबा 11.16 बीघा एवं ख0सं0 2400 रकबा 15.11 बीघा कुल रकबा 27.06 बीघा भूमि आई है। यह भूमि अपीलान्ट के पिता शिवराम, मांगीलाल व हेमाराम की संयुक्त खातेदारी की थी। शिवराम के देहान्त के समय उनके पुत्र अपीलान्ट रामरख, पुत्रियां सीता, मुन्नी व पत्नि चम्पादेवी थे लेकिन शिवराम के देहान्त के बाद राजस्व कर्मचारियों व ग्राम पंचायत भावी की गलती से उत्तराधिकारी का नामा0 केवल चम्पादेवी के नाम से स्वीकृत कर दिया। जबकि अपीलान्टस व चम्पादेवी का संयुक्त परिवार था एवं उन सभी का बराबर का हक–हिस्सा था। श्रीमती चम्पादेवी के देहान्त के बाद उत्तराधिकारियों का नाम0 संख्या 2585 दिनांक 20.10.2011 को स्वीकृत किया जाकर अपीलान्टस को चम्पादेवी के स्थान पर राजस्व रेकर्ड में दर्ज कर दिया। वर्तमान में अपीलान्टस वर्णित भूमि के संयुक्त खातेदारी में दर्ज है।

रेस्पो0 संख्या एक के द्वारा नामा0 संख्या 2585 दिनांक 20.11.2011 के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रथम राजस्व अपील प्रस्तुत की जिसमें यह अंकित किया कि चम्पादेवी ने दिनांक 23.06.19 को विवादग्रस्त भूमि के 1/3 हिस्से की वसीयत उसके पक्ष में कर दी एवं चम्पादेवी का देहान्त दिनांक 23.10.19 को हो गया है। उक्त वसीयतनामें के आधार पर उनका इस भूमि में हक व अधिकार है। अपीलाधीन नामा0 स्वीकृत करने से पूर्व उसे कोई नोटिस एवं सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है अतः नामा0 खारिज किया जाकर वसीयत के आधार पर उनके नाम से नामा0 दर्ज करने का आदेश प्रदान करावें। तब अपीलान्टस की ओर से उक्त अपील का एवं धारा 5 म्याद

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

अधिनियम का जवाब पेश कर चम्पादेवी के द्वारा बगदाराम के पक्ष में कोई वसीयत करने से इन्कार किया तथा वसीयतनामें को फर्जी बताया और अपील को खारिज करने का निवेदन किया गया परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त जवाब में अंकित तथ्यों पर विचार किये बिना ही रेस्पो0 बगदाराम की अपील स्वीकार करते हुए नामा0 संख्या 2585 निरस्त करते हुए चम्पादेवी के सभी विधिक वारिसानों एवं वसीयत अनुसार बगदाराम को सुनवाई का अवसर देकर साक्ष्य सबूत लेकर पुनः नामा0 स्वीकृत करने की कार्यवाही किये जाने हेतु तहसीलदार, बिलाडा को प्रतिप्रेषित कर दिया गया है। अधिनस्थ न्यायालय के उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.11.2019 के विरूद्ध अपीलान्टस के द्वारा यह द्वितीय अपील न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की है।

रेस्पो0 संख्या एक पूर्व से अनुपस्थित रहने से अपीलान्टस एवं रेस्पो0 संख्या 3 की ओर से उपस्थित अधिवक्तागण को सुना गया।

दौरान सुनवाई अपीलार्थीगण के अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह निवेदन किया कि रेस्पो0 संख्या एक के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नामा0 संख्या 2585 के स्वीकृत होने के 07 वर्ष से अधिक अवधि के बाद प्रस्तुत गई थी उनके द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में कोई ठोस संतोषजनक स्पष्टीकरण अंकित नहीं किया था, अपीलान्टस के द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब पेश कर उनका खण्डन भी किया गया था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपील प्रस्तुत करने में हुए उक्त विलम्ब को बिना किसी ठोस आधार के विलम्ब को माफ कर दिया।

अपीलार्थीगण के अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि विवादग्रस्त भूमि अपीलान्टस के पूर्वज शिवराम की पैतृक खातेदारी भूमि थी, शिवराम के देहान्त उपरान्त अपीलान्टस के जरिये उत्तराधिकारी अधिकार थे, केवल चम्पादेवी अकेली के नाम से गलत नामा0 स्वीकृत कर दिये जाने उनके उत्तराधिकार अधिकार समाप्त नहीं हो जाते है। इसके अतिरिक्त चम्पादेवी ने कोई वसीयत कभी बगदाराम के पक्ष में नहीं की है, क्योंकि चम्पादेवी के पूरा भरा परिवार है, किसी अजनबी के पक्ष में वसीयत करने की आवश्यकता ही नही थी। इसके अलावा चम्पादेवी का शिवराम की सम्पति में उत्तराधिकार में केवल 1/4 हिस्सा ही बनता था, उन्हें पूरी भूमि की वसीयत करने का भी अधिकार नहीं था।

अपीलार्थीगण के अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि उक्त वसीयत के अवलोकन से वसीयतनामा फर्जी प्रतीत होता है क्योंकि वसीयत किसी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई, उसकी फोटो कॉपी देखने से ही संदिग्ध साबित होती है। वसीयत के लिये स्टाम्प दिनांक 23.6.09 को लिया जाकर वसीयत लिखी गई, उसका नोटेरी से एटेस्टेशन दिनांक 27.6.09 को क्यों करवाया गया। वसीयत में बगदाराम के द्वारा सेवाचाकरी करना लिखा है जबकि चम्पादेवी के एक पुत्र व दो पुत्रिया होते हुए अन्य व्यक्ति क्यों सेवाचाकरी करेगा। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन सभी तथ्यों को गंभीरता से नहीं लिया और अपीलाधीन आदेश पारित करने में गंभीर त्रुटि की गई है।

अपीलार्थीगण के अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि वसीयत एवं गोदनामा, बख्शीशनामा आदि की वैधानिकता की जॉच करने का अधिकार नामान्तरकरण की कार्यवाही में तहसीलदार को कोई अधिकार नहीं है। इस सम्बन्ध में राजस्व मण्डल

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

अजमेर एवं माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा अनेक बार निर्णय दिये जा चुके है। उक्त निर्णयों पर गौर किये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण तहसीलदार को प्रतिप्रेषित कर दिया जो उचित नहीं है। खातेदार शिवराम की पैतृक भूमि के बारे में चार उत्तराधिकारियों में से एक के द्वारा सम्पूर्ण भूमि की वसीयत करना प्रथम दृष्टया अवैध है। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर अपील अपीलान्टस स्वीकार की जावे तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.11.2019 को निरस्त किया जावें।

रेस्पो0 संख्या 1 ता 3 की ओर से उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पो0 संख्या एक की ओर से प्रस्तुत प्रथम अपील में उनके पक्ष में हुई वसीयत के आधार पर अपीलाधीन भूमि के सम्बन्ध में खातेदार चम्पादेवी पत्नि शिवराम के देहान्त उपरान्त अपीलान्टस के पक्ष में स्वीकृत किये गये फौतेदगी नामा0 संख्या 2585 दिनांक 20.10.2011 को निरस्त करते हुए प्रकरण तहसीलदार बिलाडा को प्रतिप्रेषित करते हुए निर्देश दिये गये वो मृतक खातेदार चम्पादेवी के सभी विधिक वारिसानों की एवं वसीयत अनुसार रेस्पोडेन्ट संख्या एक को सुनवाई का अवसर देकर साक्ष्य सबूत आदि लेकर पुनः फौतेदगी नामा0 स्वीकृत करने हेतु कार्यवाही करे। जो उचित है।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध दस्तावेजात, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18.11.2019 आदि का अवलोकन एवं अध्ययन किया। जिससे यह पाया गया कि अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा ग्राम भावी जे0बी0 का चम्पादेवी पत्नी शिवराम के देहान्त उपरान्त फौतेदगी नामा0 संख्या 2585 स्वीकृत दिनांक 20.11.2011 को निरस्त करते हुए प्रकरण को मृतक खातेदार चम्पादेवी के सभी विधिक वारिसानों एवं वसीयत अनुसार अपीलान्ट (वर्तमान रेस्पो0 संख्या एक बगदाराम) को सुनवाई का अवसर देकर साक्ष्य सबूत आदि लेकर पुनः फौतेदगी नामा0 स्वीकृत करने के निर्देश तहसीलदार बिलाडा को दिये गये है।

रेस्पो0 संख्या एक के द्वारा उक्त प्रथम अपील अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाधीन नामा0 स्वीकृत होने के लगभग 8 वर्ष पश्चात म्याद बाहर प्रस्तुत की गई थी, जिसके सम्बन्ध में अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा म्याद सम्बन्धी उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने का यह कारण अंकित किया गया है कि सरपंच, ग्राम पंचायत के द्वारा अपीलाधीन नामा0 स्वीकृत करने से पूर्व वसीयत की जॉच नहीं की गई थी, इस आधार पर प्रस्तुत अपील अन्दर म्याद मानी गई है जिसे विधि अनुसार उचित नहीं ठहराया जा सकता है क्योंकि ग्राम पंचायत के द्वारा नामा0 स्वीकृत करने की कार्यवाही के दौरान रेस्पो0 संख्या एक ने अपने पक्ष में हुई वसीयत को ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत होने सम्बन्धी कोई साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद नहीं है। इसके अतिरिक्त रेस्पो0 संख्या एक के पक्ष में जब वसीयत वर्ष 2009 दिनांक 23.06.2009 को ही निष्पादित हो गई थी तो उसके द्वारा अपना नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवाने हेतु तत्समय में कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई। चम्पादेवी के दिनांक 23.10.2009 के देहान्त होने पर दिनांक 20.10.2011 को नामा0 स्वीकृत होने के 10 वर्ष पश्चात उक्त फौतेदगी नामा0 को चुनौती देते हुए वसीयत

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

के आधार पर अपना नाम दर्ज कराने हेतु प्रथम अपील पेश की गई है। रेस्पो0 संख्या एक के पक्ष में निष्पादित हुई वसीयत भी अपंजिकृत है। उक्त वसीयत की वैधानिकता की जॉच मात्र सक्षम सिविल न्यायालय के द्वारा ही की जा सकती है न कि ग्राम पंचायत अथवा तहसीलदार के द्वारा। नामा0 अपील के जरिये रेस्पो0 संख्या एक के द्वारा अपने पक्ष में हुई वसीयत के आधार पर हक–अधिकार प्राप्त करने हेतु फौतेदगी नामा0 को चुनौती दी गई है जिसे उचित नहीं ठहराया जा सकता है। इस प्रकार उल्लेखित समस्त तथ्यों पर विवेचन व विश्लेषण उपरान्त अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश को विधि अनुकूल उचित नहीं ठहराया जा सकता है। अतः अपीलान्टस की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश को निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं दस्तावेजात का विवेचन/विश्लेषण करने के उपरान्त अपील अपीलान्टस स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिलाडा के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.11.2019 को निरस्त किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 06 अक्टूबर, 2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(ओ0 प्र0 बिश्नोई)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर